निबंधन संख्या पी0टी0-40

बिहार गजट
असाधारण अंक
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

1 फाल्गुन 1935 (श0)

(सं0 पटना 174) पटना, वृहस्पतिवार, 20 फरवरी 2014

सं0 3ए-9-विविध-05/2010-**1682(वि0)**

वित्त विभाग

प्रेषक,

प्रभात शंकर,
अपर सचिव ।

सेवा में,

महालेखाकार (ले0 एवं हक0),
महालेखाकार कार्यालय,
वीरचंद पटेल पथ, पटना, बिहार ।

पटना, दिनांक **19/02/2014**

विषयः- **दिनांक 01/01/2009 को सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के आधार पर वेतन निर्धारण के संबंध में स्पष्टीकरण ।**

प्रसंगः- आपका पत्रांक पेन-16, सा0-702, दिनांक 13/07/2012 ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक उपर अंकित पत्र में अंकित है कि दिनांक 01/01/2009 को द्वितीय एवं तृतीय सुनिश्चित वृत्ति उन्नयन के लाभ के आधार पर निर्धारित वेतन में ग्रेड-पे 4600/- एवं 4800/- दोनों स्तर पर 3% वेतन वृद्धि का लाभ दिया जाता है, जब कि 01/01/2006 से पूर्व में भी वैसे कर्मचारियों को द्वितीय ए0सी0पी0 का लाभ मिला होता है । ऐसे मामलों में महालेखाकार कार्यालय द्वारा दिनांक 01/01/2009 को एक वेतन वृद्धि का लाभ रोक कर एवं ग्रेड-पे का अंतर राशि देकर पेंशनादि का मामला निष्पादित किया जाता है । इस प्रकार के मामले की समीक्षा कर वित्त विभाग से मार्गदर्शन की अपेक्षा संबंधित पत्र द्वारा की गयी है ।

2. निदेशानुसार उपर्युक्त के संबंध में कहना है कि ए0सी0पी0 नियमावली, 2003 के आलोक में जिन राज्यकर्मियों को वित्तीय उन्नयन प्रदान किया जाना है उन्हें वित्तीय उन्नयन के वेतनमान में एक वेतनवृद्धि सहित वेतन निर्धारित किया जायेगा ।

इन कर्मियों का वेतन दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से उनके मूल कोटि के वेतनमान में पुनरीक्षित किया जायेगा तथा दिनांक 01/01/2006 के पूर्व प्राप्त वित्तीय उन्नयन का प्रतिस्थानी पे-बैंड एवं ग्रेड-पे दिनांक 01/01/2009 से अनुमान्य होगा ।

3. दिनांक 01/01/2009 से अनुमान्य होने वाले प्रतिस्थानी वेतनमान में पुनः वेतन निर्धारण का कोई प्रावधान नहीं है। ऐसी स्थिति में किसी राज्य कर्मी को, जिन्हें ए0सी0पी0 की स्वीकृति के क्रम में वेतन निर्धारण का लाभ दिया जा चुका है उन्हें पुनः वेतन निर्धारण का लाभ प्राप्त नहीं होगा ।

4. एम0ए0सी0पी0एस0 नियमावली, 2010 के प्रावधान के अनुसार किसी राज्यकर्मी को नियमित प्रोन्नति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में उनकी सेवा के 10/20/30 वर्ष पूरे होने पर ठीक उपर के ग्रेड-पे में दिनांक 01/01/2009 से वित्तीय उन्नयन दिए जाने का प्रावधान है । जिन कर्मियों को 12 एवं 24 वर्ष की सेवा पूरी होने पर ए0सी0पी0 नियमावली 2003 के तहत दोनों वित्तीय उन्नयन का लाभ स्वीकृत किया गया हो उन्हें दिनांक 01/01/2009 या 30 वर्ष की सेवा पूर्ण होने की तिथि जो बाद में हो तृतीय वित्तीय उन्नयन का लाभ प्रदान किया जायेगा ।

5. आपके द्वारा संदर्भित मामले में इन कर्मियों का वेतन दिनांक 01/01/2006 के प्रभाव से उनके मूल कोटि के वेतनमान में पुनरीक्षित किया जायेगा तथा दिनांक 01/01/2006 के पूर्व प्राप्त वित्तीय उन्नयन का प्रतिस्थानी पे-बैंड एवं ग्रेड-पे दिनांक 01/01/2009 से अनुमान्य किया जायेगा । इस अनुमान्यता के क्रम में चूँकि उन्हें पूर्व में वित्तीय उन्नयन का लाभ वेतनवृद्धि सहित दिया जा चुका है अतएव पुनः वेतनवृद्धि का लाभ नहीं दिया जायेगा अपितु दिनांक 01/01/2006 को प्राप्त ग्रेड-पे को दिनांक 01/01/2009 को प्राप्त होने वाले ग्रेड-पे में से घटाकर मात्र अंतर राशि का भुगतान किया जायेगा । तृतीय वित्तीय उन्नयन दिनांक 01/01/2009 या 30 वर्ष की सेवा पूरी होने पर अनुमान्य की जायेगी तथा इस क्रम में वेतन निर्धारण एक वेतनवृद्धि सहित किया जायेगा ।

6. उपर्युक्त समान मामले में वित्त विभाग के पत्रांक 6961, दिनांक 03/07/2012 (प्रतिलिपि संलग्न) के द्वारा भी आपको सरकारी निर्णय स्पष्ट किया जा चुका है ।

विश्वासभाजन,
प्रभात शंकर,
सरकार के अपर सचिव ।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।
बिहार गजट (असाधारण) 174-571+500-डी0टी0पी0।
Website: http://egazette.bih.nic.in